निरीक्षण टिप्पणी ग्राम मकरांव विकास खण्ड मौदहा

निरीक्षणकर्ता अधिकारी	—	सन्ध्या तिवारी,आई0ए0एस0
पदनाम	—	जिलाधिकारी,हमीरपुर।
दिनांक	—	23 दिसम्बर,2015

दिनांक 23–12–2015 को मेरे द्वारा शीतलकालीन भ्रमण के अंतर्गत ग्र्रम मकरांव विकास खण्ड मौदहा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री अवधेश बहादुर सिंह,मुख्य विकास अधिकारी,हमीरपुर, संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी, उपजिलाधिकारी,मौदहा, खण्ड विकास अधिकारी,मौदहा, ग्राम स्तरीय कर्मचारी एवं ग्राम प्रधान तथा ग्रामवासी उपस्थित थे।

ग्राम में चौपाल लगाकर विकास कार्यक्रमों का सत्यापन किया गया तथा जनसमस्याओं को सुना गया।

सर्वप्रथम ग्रामवासियों से वरासत सम्बन्धी किसी अवशेष मामले के सम्बन्ध में जानकारी की गयी। ग्रामवासियों द्वारा वरासत सम्बन्धी कोई प्रकरण लम्बित न होना बताया गया। ग्रामवासियों द्वारा चकरोड पर कब्जे सम्बन्धी शिकायत की गयी। उपजिलाधिकारी मौदहा को निर्देशित किया गया कि चकरोड पर कब्जे के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करें।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी मौदहा)

ग्राम में मनरेगा के अंतर्गत कोई कार्य किया जाना नहीं पाया गया,जबकि ग्रामवासियों द्वारा कार्य किये जाने की इच्छा जतायी गयी। चौपाल के दौरान ही निर्णय लिया गया कि ग्राम में स्थित तालाब की खुदाई का कार्य मनरेगा के तहत कराया जाये। इच्छुक ग्रामवासियों के जाबकार्ड बनाये जाने के निर्देश दिये गये। खण्ड विकास अधिकारी को तत्काल कार्य प्रारम्भ कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–खण्ड विकास अधिकारी मौदहा)

ग्राम में कई स्थानों पर विद्युत के पोल टेढे होने की शिकायत की गयीं। अधिशाषी अभियन्ता विद्युत को निर्देशित किया गया कि तत्काल विद्युत पोलों की सही करायें। ग्राम में 08 घंटे विद्युत आपूर्ति होना बताया गया। निर्देश दिये गये कि उपलब्धता के आधार पर निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही—अधिशाषी अभियन्ता विद्युत)

समाजवादी पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राम में 108 व्यक्तियों का चयन किया गया। सूची पढकर सुनाई गयी। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी।

ग्राम में उचित दर विक्रेता का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। उचित दर विक्रेता के विरूद्ध राशन निर्धारित मात्रा से कम दिये जाने की शिकायत की गयी। उचित दर विक्रेता द्वारा अवगत कराया गया कि उसे गोदाम से प्राप्त होने वाली सामग्री कम प्राप्त होने के कारण कम दी जाती है। उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि इसकी जांच करके उचित कार्यवाही करें। ग्रामवासियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्डधारकों की सूची कोटेदार द्वारा चस्पा नहीं की गयी। उचित दर विक्रेता द्वारा बताया गया कि उसे सूची प्राप्त नहीं करायी गयी। इस कार्य में पूर्ति निरीक्षक की लापरवाही प्रदर्शित हो रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आवेदित व्यक्तियों की सूची उचित दर विक्रेता को न देने के लिए पूर्ति निरीक्षक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। उचित दर विक्रेता की दुकान हेतु नियुक्त सत्यापन अधिकारी के विरूद्ध भी कार्यवाही प्रस्तावित की जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि सभी पूर्ति निरीक्षकों से इस आशय से यह प्रमाण पत्र लिया जाये कि उनके द्वारा सभी सम्बन्धित ग्रामों में आवेदित व्यक्तियों की सूची प्रकाशित हो गयी है, प्रमाण पत्र प्राप्त न होने तक पूर्ति निरीक्षकों का वेतन आहरित न किया जाये।

(कार्यवाही—जिला पूर्ति अधिकारी)

ग्रमवासियों द्वारा बताया कि ग्राम में तीन राजकीय नलकूप है,जिसमें से 06 एम0जी0एवं 55एम0जी0 नलकूप फेल हैं। अधिशाषी अभियन्ता नलकूप द्वारा बताया गया कि नलकूप संख्या 6 एम0जी0 के रिबोर की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है,मार्च 2016 तक यह रिबोर हो जायेगा। 55 एम0जी0 के रिबोर हेतु प्रस्ताव भी तत्काल भिजवाने के निर्देश अधिशषी अभियन्ता नलकूप को दिये गये।

(कार्यवाही—अधिशाषी अभियन्ता नलकूप)

बाल विकास योजना के कार्यो की समीक्षा की गयी। पोषाहार वितरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी। गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषाहार के फायदों के सम्बन्ध में बताया गया। ग्रामवासियों से अपने बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाडी केन्द्र भेजने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

(कार्यवाही—जिला कार्यक्रम अधिकारी)

स्वच्छ पेयजल हेतु ग्रम में 44 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। ग्राम में 05 हैण्डपम्प रिबोर योग्य हैं। अधिशाषी अभियन्ता जल निगम को निर्देश दिये कि देख लें,जो सबसे जरूरी हो उनमें से 02 हैण्डपम्प का रिबोर किया जाये।

(कार्यवाही—अधिशाषी अभियन्ता जल निगम)

चौपाल के दौरान ज्ञानदेवी पुत्री जगरूप उपस्थित हुयी है,जो दोनों पैरों से एवं कमर से विकलांग है। वह बिना किसी सहारे के चलने—फिरने में असमर्थ लग रही है। इसे विकलांग पेंशन एवं अन्य आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही—विकलांग कल्याण अधिकारी,खण्ड विकास अधिकारी मौदहा)

ग्राम में तैनात ए0एन0एम0 के नियमित रूप से ग्रम में आने एवं टीकाकरण कार्य किया जाना बताया गया।

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी हमीरपुर।

संख्या– 503/पी0ए0 दिनांक–दिसम्बर 30 2015

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–आयुक्त,चित्रकूटधाम मण्डल बांदा को सूचनार्थ प्रेषित।
2–मुख्य विकास अधिकारी हमीरपुर।
3–अपर जिलाधिकारी,वि0/रा0 हमीरपुर।
4–उप जिलाधिकारी मौदहा।
5–सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारीगण।
6–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हमीरपुर।
7–खण्ड विकास अधिकारी मौदहा

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी
हमीरपर